

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 146 / 2021

दिनांक 13.09.2021

श्रीमती सुषमा पारीक (RJ0501), अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर को दिनांक 20.09.2021 से 12.10.2021 तक 23 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.09.2021 एवं 13.10.2021 से 15.10.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू (RJ0435), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, जोधपुर महानगर को श्रीमती सुषमा पारीक के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू (RJ0435), जिनको अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,  
10.09.2021  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/57/2005/5744

दिनांक 13.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 5339 दिनांक 03.09.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुषमा पारीक (RJ0501), अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर।
4. अपर सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जोधपुर महानगर।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू (RJ0435), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, जोधपुर महानगर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-05, जोधपुर महानगर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

13.9.2021  
सहायक रजिस्ट्रार